प्रो0 राजीव कुमार
परीक्षा नियंत्रक

डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ०प्र०
(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय,लखनऊ)
सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ, उ0प्र0-226031

पत्रांक स० : ए०के०टी०यू०/प०नि०का०/2023/358 दिनांकः 16 सितम्बर, 2023

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध समस्त संस्थायें।

विषयः सत्र 2022-23 के विषम सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं के चैलेंज मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

महोदय,

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को सूचित कराना है कि सत्र 2022-23 के विषम सेमेस्टर की परीक्षा जो दिनांक 04 जनवरी, 2023 से दिनांक 06 अप्रैल, 2023 के मध्य तीन चरणों में सम्पन्न करायी गई थी तथा उक्त परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले छात्र/छात्राओं के परीक्षा परिणाम जारी किया जा चुका है। उक्त परीक्षाओं से सम्बन्धित ऐसे छात्र जो अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं का चैलेंज मूल्यांकन कराये जाने के इच्छुक हैं की उत्तर-पुस्तिकाएं छात्र के ई0आर0पी0 लॉगिन मे उपलब्ध करा दी गई है। अतः इच्छुक छात्र अपनी उत्तर-पुस्तिका को देखते/जांच करते हुए नियमानुसार **दिनांक 18 सितम्बर, 2023 से 30 सितम्बर, 2023 तक** निर्धारित शुल्क रू0 2500.00 (दो हजार पाँच सौ) मात्र प्रति विषय की दर से ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑन-लाइन चैलेंज मूल्यांकन कराये जाने से सम्बनिधत विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या ए0के0टी0यू0/प0नि0का0/ 2023/272 दिनांक 31 जुलाई, 2023 के अनुसार कार्यवाही के उपरान्त ही छात्र चैलेंज मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकेंगे। चैलेंज मूल्यांकन के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्याः 39298/ 16-1099/17/2020 दिनांक 11 सितम्बर, 2020 के साथ संलग्नक श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव के पत्र संख्या ई-7443/03-जी0एस0/2019(टी0सी0) एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की 68वीं बैठक के मद संख्या 68.13 में लिये गये निर्णय निम्नवत् हैः-

1. दो विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाएगा।
2. यह औसत अन्तिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में देय होगा, चाहे वह मूल प्राप्तांको से कम हों अथवा अधिक।
3. यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में 20 प्रतिशत से अधिक का अन्तर होता है तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क रू0 2500/- में से रू0 1000/- धनराशि की कटौती करते हुए शेष रू0 1500/- परीक्षार्थी को वापस किया जायेगा। शुल्क वापसी हेतु छात्रों द्वारा बैंक विवरण (Account No., IFSC Code & Bank Name) भरते समय जांच कर लिया जाए कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक विवरण सही भरे गये हैं। यदि छात्र द्वारा गलत बैंक विवरण या किसी अन्य के खाता का विवरण दिया जाता है तो भुगतान में असुविधा के लिये छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा।

अतः उक्त से अवगत होते हुए चैलेंज मूल्यांकन हेतु इच्छुक छात्र निर्धारित उपरोक्त तिथि तक ऑन-लाइन आवेदन हेतु अपने स्तर से भी सूचित करते हुए समयानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

नोटः कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें कि चैलेंज मूल्यांकन की प्रत्येक उत्तर-पुस्तिका को दो विषय विशेषज्ञों से मूल्यांकित कराया जाता है और उनका औसत अंक कम हों अथवा अधिक, अन्तिम रूप से प्रदत्त किया जाता है। अतः आश्वस्त होने पर ही चैलेंज मूल्यांकन हेतु आवेदन करें।

भवदीय
16/9/2023
(प्रो0 राजीव कुमार)
परीक्षा नियंत्रक

संलग्नकः यथोक्त।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांकः उपरोक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रतिकुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
2. अपर/संयुक्त/उप परीक्षा नियंत्रक, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
3. प्रभारी ई0आर0पी, ए0के0टी0यू0, लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित की उपरोक्त के सन्दर्भ समयानुसार छात्रों का चैलेंज मूल्यांकन का आवेदन तथा निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु यथा आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
5. स्टाफ आफिसर, कुलपति, ए0के0टी0यू0, लखनऊ को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

(प्रो0 राजीव कुमार)
परीक्षा नियंत्रक

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश
सेक्टर–11 जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, लखनऊ–226031

आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त संस्थानों के विषम सेमेस्टर 2022–23 की परीक्षा के छात्रों के परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त ऐसे छात्र जो अपनी उत्तर पुस्तिका का चैलेन्ज मूल्यांकन (Challenge Evaluation) कराना चाहते हैं, ऐसे छात्र चैलेंज मूल्यांकन का फार्म भरने से पूर्व उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्याः 39298 / 16–1099 / 17 / 2020, दिनॉक 11 सितम्बर, 2020 के साथ श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव के पत्र संख्याः ई–7443 / 03–जी0एस0 / 2019(टी0सी0) एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति–2021 की 68वीं बैठक में लिए गये निर्णय का विवरण निम्नानुसार है।

1. उक्त शासनादेश एवं परीक्षा समिति में लिए गये निर्णय के अनुसार छात्र उत्तर पुस्तिका देखने लिए 30 (तीस) दिन के अन्दर छात्र आवेदन कर सकतें है।
2. उक्त शासनादेश एवं परीक्षा समिति में लिए गये निर्णय के अनुसार छात्र को मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका देखने के लिए प्रति विषय (Per Subject) रू0 300 / – विश्वविद्यालय में आनलाईन जमा करना होगा।
3. छात्र को प्रति विषय (Per Subject) रू0 300 / – विश्वविद्यालय में आनलाईन जमा करने के उपरान्त उक्त विषय की डिजिटल मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका छात्र को उसके लॉगिन पर User ID एवं पासवर्ड के माध्यम से दिखा दी जायेगी।
4 छात्र द्वारा, मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरान्त यदि छात्र असंतुष्ट होता है तो छात्र परीक्षाफल घोषित होने के 45 (पैतालिस) दिन के अन्दर चैलेन्ज मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है।
5 यह कार्यालय आदेश लॉगिन पर उत्तर पुस्तिका देखने हेतु परीक्षाफल घोषित होने की दिनांक से 30 दिन तक प्रभावी होगा। तदोपरान्त किसी भी दशा में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

31/7/2023
(प्रो0 राजीव कुमार)
परीक्षा नियंत्रक

पत्र संख्याः ए0के0टी0यू0 / प0नि0का0 / 2023 / 272

दिनांकः 31 जुलाई, 2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1 वित्त अधिकारी, ए0के0टी0यू0 लखनऊ।
2 कुलसचिव, ए0के0टी0यू0 लखनऊ।
3 स्टाफ आफिसर ए0के0टी0यू0 लखनऊ को, मा0 कुलपति महोदय को अवलोकनार्थ।
4 ई0आर0पी0 ए0के0टी0यू0 लखनऊ।
5 निदेशक / प्राचार्य, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

(प्रो0 राजीव कुमार)
परीक्षा नियंत्रक

298/2020

अनुलग्नक–06

संख्या : 39298/**16–1099 / 17 / 2020**

प्रेषक,

कुलदीप बाबू,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
2. कुलसचिव, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
3. कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 11 दिसम्बर, 2020**

विषयः–विश्वपविद्यालयों में चुनौती मूल्यांकन प्रस्तावित अध्यादेश को समान रूप से लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव के पत्र संख्या–ई–7443/03–जी0एस0/2019(टी0सी0) दिनांक 26.11.2020 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्वपविद्यालयों में चुनौती मूल्यांकन प्रस्तावित अध्यादेश को समान रूप से लागू किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पत्र में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

Digitally signed by कुलदीप बाबू
Date:Fri Dec 11 16:30:31 IST 2020
Reason: Approved

(कुलदीप बाबू)
उप सचिव।

COE/DR(R)

0861/2020/ ( )

स्पीड पोस्ट / पत्रवाहक

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ–226027

संख्या ई–7443/03–जी0एस0/2019(TC)
दिनांक : 26/11/2020

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति/निदेशक
समस्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वद्यालय/संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

विषयः—विश्वविद्यालयों में चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) प्रस्तावित अध्यादेश को समान रूप से लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस सचिवालय के पत्रांक ई–2129/03–जी0एस0/2019(TC), दिनांक 24–04–2020 का सन्दर्भ लें, जिसके माध्यम से प्रेषित की गई चुनौती मूल्यांकन की गाईड लाइन दिनांक 22–02–2020 पर आपकी आख्या/अभिमत की मांग की गयी थी, जिस पर प्राप्त कतिपय आख्या/अभिमत पर विचारोपरान्त अन्तिम रूप से तैयार की गयी गाइड लाईन (मानक निर्देश) को प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में एक जैसी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है।

अतः इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न गाइड लाईन (मानक निर्देश) को सभी विश्वविद्यालय/संस्थान उन पर प्रवृत्त विधियों, उपविधियों आदि की व्यवस्था के तहत सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करके इस व्यवस्था को अपने विश्वविद्यालय/संस्थान में लागू किये जाने का विचार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
कुलाधिपति/कुलाध्यक्ष के अपर मुख्य सचिव।

संलग्नकः—यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
6. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, ~~उ0प्र0 शासन~~, लखनऊ।

(महेश कुमार गुप्ता)
कुलाधिपति/कुलाध्यक्ष के अपर मुख्य सचिव।

चुनौती मूल्यांकन
(Challenge Evaluation)

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) दो चरणों में होगा–

1. मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति (scanned copy) देखने की सुविधा
2. मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरान्त और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने की सुविधा

आवेदन अवधि –

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के प्रथम चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 30 (तीस) दिन के अन्दर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

चुनौती मूल्यांकन के प्रथम चरण का शुल्क –

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के प्रथम चरण लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क रु0 300/- प्रति प्रश्नपत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में –

1. आवेदन के उपरान्त परीक्षार्थी को मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति (scanned copy) अवलोकन हेतु ऑनलाइन उपलब्ध करवायी जा सकती है।
2. परीक्षार्थी द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरान्त और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन अवधि –

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 45 (पैंतालिस) दिन के अन्दर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण का शुल्क –

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क रु0 2500/- प्रति प्रश्नपत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

चुनौती मूल्यांकन की प्रक्रिया –

1. प्रत्येक प्रश्न पत्र के चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के हेतु कम से कम 4 (चार) विषय विशेषज्ञों / परीक्षकों की एक नामावली (panel) संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति को प्रस्तुत की जाए।
2. चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के लिए प्रस्तुत उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उपर्युक्त नामावली में से नामित किन्हीं दो विषय विशेषज्ञों / परीक्षकों द्वारा करवाया जाए।
3. विषय विशेषज्ञ / परीक्षक को नामित करने का कार्य सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा इस सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाए।
4. चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के लिए उत्तर पुस्तिका को विषय विशेषज्ञ / परीक्षक के सम्मुख उपस्थित करने से पहले मूल परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक / अंकों का विवरण छिपा दिया जाए।

5. संबंधित उत्तर पुस्तिका की दो छाया प्रतियां तैयार करवायी जाएं और उन्हें नामित विषय विशेषज्ञों / परीक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए।

चुनौती मूल्यांकन के प्राप्तांक के संबंध में–

1. दोनों विषय विशेषज्ञों / परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाए।
2. यह औसत अन्तिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में देय होगा , चाहे वह मूल प्राप्तांकों से कम हों अथवा अधिक।
3. यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में 20% से अधिक का अन्तर होता है तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क रु0 2500/- में से रू0 1000/- की धनराशि काटकर शेष परीक्षार्थी को वापस कर दी जाए।

मूल्यांकन में लापरवाही बरतने पर मूल परीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के संबंध में –

1. चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) में प्राप्तांक अंकों में 20% से अधिक बदलाव होने की स्थिति में प्राथमिक स्तर पर मूल परीक्षक को नोटिस भेजी जाए।
2. यदि ऐसे परीक्षक के 3(तीन) से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उस परीक्षक के, संबंधित प्रश्न पत्र के मूल्यांकन का पूरा पारिश्रमिक रोक दिया जाए। यदि ऐसे परीक्षक के 5(पांच) से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उस परीक्षक को कम से कम दो वर्ष की अवधि हेतु परीक्षा संबंधी कार्यों से विवर्जित (debarred) रखा जाए और यदि 10 से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उपर्युक्त के साथ– साथ उस परीक्षक की निजी विवरण पुस्तिका में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज कर दी जाए।